FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

गजानन्द पिता घीसा माली निवासी भुतिया कुआ के पास कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा	बनाम	श्रीमति आरती पत्नि दीपक हरिजन नि. कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा वगैराह
– निगराकार		– गैर निगराकार

प्रकरण संख्या 10/2026 निगरानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म जो जारी हुए
17.03.2026	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। प्रकरण पंजीबद्ध कर गैर निगराकारान की तलबी हेतु नोटिस जारी करें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु प्रकरण आयन्दा सुनवायी हेतु दिनांक 13.04.2026 को पेश करें। अति0 जिला कलक्टर शाहपुरा	
13/4/26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार उपस्थित गैर निगराकार के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये जो शा. फा. किये गये। गैर निगराकार उपस्थित नहीं। P.O. साहब अवकाश में है। पत्रावली वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक - 12.5.26 को पेश हो। आज्ञा से रीडर अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहपुरा	
12/5/26	पत्रावली पेश हुई निगराकार/अधिवक्ता उपस्थित नहीं। निगराकार को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे लगवाई जाने के उपरांत भी निगराकार/उनके विधिवक्ता एवं ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुआ अतः निगराकार की निगरानी अदम पैरवी/अदम दौरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुदा होकर नंबर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सेर रजवास सुनाया गया अति. जिला कलक्टर शाहपुरा	